न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी बिजेन्द्रसिंह, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
59 / 2023	प्रा.पत्र 251-A RTA	31.10.2023	24.04.2025

याकुब अली खां पुत्र श्री महनुखां जाति कायमखानी निवासी ग्राम झारिया तहसील व जिला चूरू (राज.)

–प्रार्थीया–

बनाम

1. श्रामदेवी पुत्र थावरमल जाति मीणा निवासी ग्राम झारिया तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. शंकरलाल पुत्र हरदेवाराम जाति मीणा निवासी ग्राम झारिया तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मुख्य शाखा प्रबंधक तहसील व जिला चूरू (राज.)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – 1. अधिवक्ता श्री शिवगौतम प्रार्थी
2. अधिवक्ता श्री संजीव मीणा अप्रार्थी संख्या 1 व 2
3. पैरोकार राज.

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से नीचे लिखे अनुसार प्रार्थना पत्र पेश

1. यह कि प्रार्थी कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 881 / 181, तादादी 6.1841 हैक्टेयर वाके रोही झारिया तहसील व जिला चूरू में स्थित है।

2. यह कि प्रार्थी के खेत व गांव में आने जाने का एकमात्र रास्ता खसरा नं. 1211 / 1085 व खसरा नम्बर 1087 / 87 से होकर पगडण्डी सलामत रास्ता है। वादीगण को आवश्यक हो गया सलामत रास्ता को कटानी रास्ता करवाना चाहता है क्योकि भविष्य में रास्ते के प्रति किसी प्रकार का वाद विवाद न हो इसलिए प्रविादी / अप्रार्थी के कृषि भूमि में से '' एनेक्चर ए'' के अनुसार कटानी रास्ता कायम किया जाये जिसके लिए प्रार्थना पत्र के साथ मूल '' एनेक्चर ए '' पेश किया गया है जिस एनेक्चर ए'' के अनुसार प्रार्थी को उक्त कटानी रास्ता किया जाये जिसके लिए प्रार्थना –पत्र अदालत मातत में पेश किया गया है।

3. यह कि उक्त पगडण्डी व सलामत रास्ता मौके पर रास्ता चालू है और अप्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा उक्त '' एनेक्चर ए'' के अनुसार उक्त कृषि भूमि में से आवागमन का रास्ता दिया गया था जो आज तक चला आ रहा है। जो प्रार्थी के खेत से लेकर मुख्य मार्ग सड़क से जुड़ता है जिसे '' एनेक्चर ए'' प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही है।

4. यह कि उक्त कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के खेतों से होकर आने जाने का एकमात्र है हो आज तक सदामत से चला आ रहा रास्ता है। जिसके लिए यह आवश्यक हो गया है कि उक्त सदामत रास्ते का अंकन [illegible] जिससे हमारे खेत में जाने के लिए रास्ता कायम किया जावे। उक्त कृषि [illegible] उसी रास्ते का आज तक उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं जो [illegible] रहा है व रास्ते के पदचिन्ह मौजूद हैं ओर आज भी हम उस रास्ते पर आवागमन करते आ रहे हैं [illegible] किसी प्रकार का कोई विवाद आगे ना हो इसलिए उक्त रास्ता कटानी कराना चाहते [illegible] '' एनेक्चर ए''

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:29:53 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा पेश किया गया है। उक्त रास्ता '' एनेक्चर ए'' के आधार पर उक्त रास्ता कामय किया जावे।

5. यह कि उक्त रास्ता प्रार्थी व अप्रार्थीगण के खेतों से होकर मुख्य सड़क से मिलता है जो खेत में आने जाने का एक मात्र सदामत रास्ता चला आ रहा है और उक्त रास्ता मुख्य मार्ग से होकर मेरे खेत तक जाने वाला एकमात्र रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर दर्ज किया जावे जिसके लिए यह उक्त प्रार्थना पत्र अदालत मातहत में पेश किया जा रहा है।

6. यह कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के रासते में जाने वाली भूमि के बदले भूमि या रास्ते में गई भूमि की राशि प्रार्थी देने के लिए तैयार हे या न्यायालय के आदेशानुसार राशि/ भूमि देने हेतु तैयार है।

7. यह कि प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 01 से 02 को कहा व कहलवाया कि खेत में से जाने के लिए एकमात्र रास्ता अप्रार्थी संख्या 01 से 02 के खेत में '' एनेक्चर ए'' के अनुसार कटानी रास्ता कायम कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर दर्ज किया जावे मगर फिर भी अप्रार्थी संख्या 01 से 02 टाल–मटोल करते रहे एवम् आखिरकार दिनांक 10.01.2024 को अप्रार्थी संख्या 01 से 02 ने ऐसा करने से साफ–साफ इन्कार कर दिया लिहाजा तारीख दिनांक 10.01.2024 को अप्रार्थी संख्या 01 से 02 ने ऐसा करने साफ–साफ इन्कार कर दिया लिहाजा तारीख दिनांक 10.01.2024 से वादकारण तथा वाद–हेतुक प्रार्थी को भूमि मजकूर का खातेदार काश्तार होने से प्राप्त हो गया है।

8. यह कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि रहन होने के कारण शाखा प्रबन्धक को बतौर पक्षकार संख्या 04 बनाया गया है।

9. यह कि निवास स्थान फेरिकेन व वादग्रस्त कृषि भूमि अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में स्थित हे इसलिए अदालतवाला को प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है तथा दावा मुकर्रर शुदा कोर्ट फीस पर हर प्रकार से अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

10. अन्य तथ्य वरवक्त बहस अर्ज कर दिये जावेगे।

अतः प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र व मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 01 से 02 कर खातेदारी कृषि भूमि में एनेक्चर ''ए'' के अनुसार कटानी रास्ता कायम कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाने वाली भूमि के बदले भूमि या रास्ते में गई भूमि की राशि प्रार्थी देने के लिए तैयार है या न्यायालय के आदेशानुसार राशि–भूमि देने हेतु तैयार है।

प्रार्थना–पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से संजीव मीणा ने वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया है।

Signature Not Verified

जो निम्नानुसार है।

1. प्रार्थना–पत्र की मद संख्या ... है जवाब की आवश्यकता नहीं है।

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:29:53 IST
Reason: SelfAttested

2. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 02 आंशिक स्वीकार है। क्योंकि उक्त रास्ता मौके पर हमारे खेत में चालु है जो पीढी दर पीढी सलामत रास्ता है जिसे रास्ता छोड़कर हमारे खेतो के चारो तरफ तारबंदी की हुई है।

3. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 03 आंशिक स्वीकार है। क्योंकि उक्त रास्ता जो कि एनेक्चर के अनुसार पेश किया है वो मुख्य सडक से जुड़ता है।

4. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 04 आंशिक स्वीकार है।

5. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 05 आंशिक स्वीकार है।

6. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद सं. 06 आंशिक स्वीकार है। यदि रास्ता कटानी किया जाता हे तो हमें रास्ते की एवज में भूमि या डी.एल.सी के अनुसार राशि दिलायी जावे।

7. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. स्वीकार नहीं है। क्योंकि प्रार्थी ने मुझ प्रार्थी को कोई भी किसी भी प्रकार से कहा व कहलवाया नहीं है।

8. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 08 कानुनी है जिसके जवाब की कोई आवश्यकता नहीं है।

9. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 09 कानूनी है जिसके जवाब की कोई आवश्यकता नहीं है।

10. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 10 कानूनी है जिसमें माननीय अदालत के आदेशानुसार बहस कर दी जावेगी।

11. यह कि प्रार्थना–पत्र की अंतिम मद आंशिक स्वीकार है।

विशेष कथनः–

यह कि न्यायालय द्वारा उक्त सलामत रास्ते को यदि कटानी किया जाता है तो कटानी रास्ते में गई हुई भूमि के बदले भूमि या बनने वाली राशि जो न्यायालय के आदेशानुसार प्रार्थी को दिलाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 03 पर जरिये रजि. डाक तामील होने के बावजूद इनकी ओर से न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं आने से इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई । अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने पुनः उपस्थित होकर निवेदन किया कि जवाब प्रार्थना–पत्र मे हम अप्रार्थीगण द्वारा कटानी रास्ते में जाने वाली भूमि के एवज में भूमि या बनने वाली राशि दिये जाने का अनुतोष चाहा गया था जो सहवन भूमि वश अंकन हो गया था परन्तु हम कटानी रास्ते में जाने वाली भूमि के एवज में कोई अनुतोष नहीं चाहते है।

जिस पर अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई बहस में अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से निवेदन किया गया कि उक्त रास्ते को कटानी किया जावे ताकि प्रार्थी को खेत में जाने में कोई आपति नहीं है।

बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोन किया गया व बहस पर मनन किया गया ।

दिनांक 24.03.2025 को प्रस्तुत प्रकरण में वादी याकूब अली खां द्वारा धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अंतर्गत यह प्रार्थना की गई कि उसकी कृषि भूमि खसरा संख्या 881 / 181, रकबा 6.18[illegible] [illegible]िया, तहसील एवं जिला चूरू तक पहुँच हेतु केवल एक सलामत रास्ता उपलब्ध [illegible] जो [illegible]सरा संख्या 1211 / 1085 व 1087 / 87 से होकर गुजरता है उक्त प[illegible] [illegible] में है और जिससे उसके खेत तक आवागमन होता रहा [illegible]नुसार कटानी रास्ता घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में अंकित किया जाए, जिससे [illegible]ष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो। यदि आवश्यक हुआ तो प्रार्थी रास्ते में गई भूमि के बदले मुआवजा अथवा समतुल्य भूमि देने को तैयार है। वाद में विरोधीगण संख्या 1 व 2 की ओर से प्रारंभ में मुआवजा अथवा भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:29:53 IST
Reason: SelfAttested

के प्रतिकार की मांग की गई, तथापि तत्पश्चात दिनांकित कथन में उन्होंने स्पष्ट रूप से न्यायालय के समक्ष यह निवेदन किया कि वे रास्ते में गई भूमि के बदले न तो मुआवजा चाहते हैं और न ही समतुल्य भूमि। अप्रार्थी संख्या 3 के विरुद्ध रजि. डाक द्वारा समन की तामील होने के पश्चात भी कोई उपस्थिति नहीं दी गई, अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रार्थना–पत्र, संलग्न दस्तावेज "एनेक्चर ए", अप्रार्थीगण के लिखित जवाब, मौखिक बहस तथा स्थल की व्यावहारिक स्थिति का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी की कृषि भूमि तक पहुँचने हेतु कोई अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। विवादित रास्ता वर्षों से प्रचलित सलामत पगडंडी रूप में प्रयुक्त होता रहा है। विरोधीगण द्वारा स्वयं उक्त रास्ते के अस्तित्व को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है। विरोधीगण द्वारा मुआवजा या समतुल्य भूमि प्राप्त न करने की स्वैच्छिक असहमति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वादी को अपने खेत तक पहुँचने के लिए "एनेक्चर ए" में वर्णित रास्ते को कटानी रास्ते के रूप में घोषित किया जाना न्यायसंगत, आवश्यक एवं विधिसम्मत है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए व नियम 70 (1)(1) आपसी सहमति के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकृत किया जाकर अप्रार्थी संख्या 01 से 02 खातेदारी कृषि खेत खसरा नम्बर 1211/1085 व 1087/87 रोही ग्राम झारिया की भूमि में से प्रार्थी खेत खसरा नम्बर 881/181 रोही ग्राम झारिया को जाने के लिए एनेक्चर "ए" के अनुसार कटानी रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। एनेक्चर "ए" भविष्य में निर्णय का भाग माना जावे। तहसीलदार चूरू को आदेश दिया जाता है कि वह इस मार्ग को राजस्व अभिलेख में दर्ज करें और इसे कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बिजेन्द्रसिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:29:53 IST
Reason: SelfAttested